

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Is it the truth?

Is it fair to all concern?

Will it be beneficial to the child?

We all consider the upbringing of the child

But our views may be different

This is DWAIT feeling

ADWAIT

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

What is adoption?

Section 2(2) of J.J.Act “adoption” means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents and becomes the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child;

ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE  
AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Parthenogenesis

अणि स्वयंभू अछूती वंशवृधि

Biological children

Adoptive children

ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE  
AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

# Parthenogenesis

Are that is created by its own  
accord

Either God or the repreentative  
of the God

ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Biological children are blessed and fortunate to have their parents since birth.

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

but the adoptive?

oppressed/dipressed/dejeeced

and abandoned

waiting for adoptive parents

fate and circumstances

# **ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015**

**Why adoption?**

**Genuine love for children**

**A couple with two or more children of the same sex**

**A couple with only one child**

**A single person who wants to experience  
parenthood**

**To control the population**

**Thalassemia**

**For the joy without the labour**

**People involved in their careers**

**To help out a friend or a relative**

ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE  
AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

HAGUE CHILD ABDUCTION CONVENTION

25<sup>TH</sup> OCTOBER 1980- special features

- protect children
- simplify the court proceeding  
in the interest of justice to child



# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

## L.K.PANDEY V. UNION OF INDIA

A.I.R 1984 PAGE 469- AUTHER JUSTICE P.N.BHAGWATI

- Held –children have right to love.
- Suitable parent should be searched in country first.
- Welfare of the child is of prime importance.

HSR WITH MER,

MARRAGE CERTIFICATE with RECENT PHOTOGRAPH

Income suitability with documents.

Undertaking of the parents to up bring the child.

Intimating the court the progress of the child.

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Processes-chapter III-sec-9-Guidelines-2017

PAPs desiring to adopt shall upload the entire information as required in Form VI with option of State and get registration and shall opt for the nearest SAA (Specialized Adoption Agency)

ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE  
AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Processes-chapter III-sec-9-Guidelines-2017

It is made over to SAA  
and the social worker of  
SAA will prepare the HSR  
of the PAPs and  
counseling is done.

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Processes-chapter III-sec-9-Guidelines-2017

Child adoption Resource Agency will either accept or reject the application on the basis of HSR where against the PAPs will have right to appeal u/r 59 within 15 days.

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Processes-chapter III-sec-9-Guidelines-2017

HSR with MER and CSR will be matched as per the availability and suitability of the child. If the PAPs refuse to take the child without good reasons they are relegated to the bottom of the seniority list.

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Ten celebrities who have adopted

- 1. Susmita Sen-RENEE**
- 2. Mithun Chakravarty-ISHANI**
- 3. Salim Khan-ARPITA**
- 4. Subhash Ghai-MEGHA**
- 5. Dibakar Banerjee-HERLA**
- 6. Shobhana- Ananthanarayani**
- 7. Raveena Tandon-POOJA AND CHAYA**
- 8. Nikhil Advani-KEYA**
- 9. Kunal Kohli-RADHA**
- 10. Sandip Soparkar-ARJUN**

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015



RAJESH KHANNA WAS AN ADOPTIVE SON

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015



NELSON MANDELA - AN ADOPTIVE SON



# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015



BILL CLINTON - AN ADOPTIVE SON

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015




MARILYN MONROE - AN ADOPTIVE DAUGHTER

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015




ARPITA KHAN - AN ADOPTIVE DAUGHTER

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015



STEVE JOBS - AN ADOPTIVE SON

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015



DAVE THOMAS (KFC)- AN ADOPTIVE SON

## ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Chapter VIII of the Act deals with adoption According to section 56 of the Act orphan, abandoned or surrendered children may be adopted, irrespective of the relation, religion, country barrier by the orders of competent court.



## ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Section 57 deals with the competency of PAPs  
Paps/pap should be physically fit, financially sound, mentally alert and highly motivated to adopt a child for providing a good upbringing to him.  
*In case of a couple-consent required.*  
*A single or divorced person- can also*  
*A single male can't adopt a girl child.*

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Section 58 deals with the application by PAPs

*Indian PAPS may apply to a SAA*

*SAA shall prepare the HSR of the PAPs*

Finding them eligible, will refer a child declared legally free for adoption to them along with CSR and MER

On acceptance SAA shall give the child in pre-adoption foster care and file an application in the court for obtaining the adoption order, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority.



# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Difference between Domestic and inter country case  
*Domestic adoption case is filed u/s 58(3) whereas in inter country it is filed u/s 59(7) or 60 of the Act. In domestic adoption pre adoption care foster is given but in inter country adoption it is not given. For inter country adoption the children are free for the purpose after sixty days whereas no such barrier is in DA.*

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Follow up action after order in inter country adoption;  
*Sec-59(11)The authorised foreign adoption agency, or Central Authority, or the concerned Government department, as the case may be, shall ensure the submission of progress reports about the child in the adoptive family and will be responsible for making alternative arrangement in the case of any disruption, in consultation with Authority and concerned Indian diplomatic mission, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority.*

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

Satisfaction of the court- sec-**61**

*Adoption is for the welfare of the child;*

*Due consideration is given to the wishes of the child*

No payment or reward demanded or paid / made.

*The adoption proceedings shall be held in camera*

*Case shall be disposed of by the court within a period of two months from the date of filing.*

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

**For Inter country adoption SCHEDULE XXIX- regulation 12(2) MODEL APPLICATION has been provided but for the domestic adoption no model application has been provided. However under mentioned are necessary for domestic adoption application in the court which are as under;**


**Name of the court / case number/Name address of the SAA and name address of the Paps , name and DOB of the child/description about the SAA, description about the Paps/about their health / marriage/ address proof/ suitability / property/ income/about the agency preparing HSR/ child foster care/ name change/CWC certificate / Reference /prayer/verification / affidavit of Secretary SAA/Paps/list of documents**



















A  
A











वाई 27  
 वाई 28  
 वाई 29  
 वाई 30  
 वाई 31  
 वाई 32  
 वाई 33  
 वाई 34  
 वाई 35  
 वाई 36  
 वाई 37  
 वाई 38

आर्खीओ कार्यालय मायामंज  
 राय हरि मोहन उच्च विद्यालय बयरी  
 राय हरि मोहन उच्च विद्यालय बयरी  
 सर्वोदय प्राथमिक विद्यालय जवाहरपुर  
 पीटी मध्य विद्यालय तिलकामांझी  
 कृषि निदेश मध्य विद्यालय तिलकामांझी  
 उर्दू मध्य विद्यालय बरहपुर  
 हिन्दी मध्य विद्यालय भीखनपुर  
 हिन्दी मध्य विद्यालय भीखनपुर  
 बालक मध्य विद्यालय मुंटीचक  
 बालक मध्य विद्यालय मुंटीचक  
 इस्टर्न वैंम्बर ऑफ कामर्स, सुजागंज

वाई 39  
 वाई 40  
 वाई 41  
 वाई 42  
 वाई 43  
 वाई 44  
 वाई 45  
 वाई 46  
 वाई 47  
 वाई 48  
 वाई 49  
 वाई 50  
 वाई 51

उर्दू मध्य विद्यालय भीखनपुर  
 उर्दू मध्य विद्यालय भीखनपुर  
 मास्कराचक मध्य विद्यालय  
 उर्दू मध्य विद्यालय मास्कराचक  
 हिन्दी मध्य विद्यालय इशाकचक  
 बोरिंग भवन मास्कराचक  
 सिक्केटपुर बोरिंग भवन  
 सिक्केटपुर बोरिंग भवन  
 उर्दू प्राथमिक विद्यालय इशाकचक  
 इशाकचक बोरिंग भवन  
 प्राथमिक विद्यालय छटापटी  
 सरयू देवी मोहन स्मॉल उच्च विद्यालय  
 प्राथमिक मध्य विद्यालय काठालीवांज

## क प्रताड़ना कायत सपी से

गलपुर : हबीबपुर  
 मीन ने अपने पति  
 नाम हाय खुद को  
 करने की शिकायत  
 के जनता दरबार  
 । उन्होंने शिकायत  
 है पति और उसके  
 दहेज की मोटी  
 देने पर उसके  
 लड़की के साथ  
 पने की तैयारी कर  
 उन्होंने अपने पति  
 श भागे जाने से  
 ने मुहार एसएसपी  
 है।

# एक और अनाथ बच्ची को मिली विदेशी मां की गोद



प्रीति भारती को गोद में लिए स्पेन की महिला • जागरण

जागरण संवाददाता, भागलपुर : नाथनगर  
 स्थित गमानंदी हिंदू अनाथालय में पल रही  
 प्रीति भारती को विदेशी मां की गोद मिल गई  
 है। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश शिव  
 गोपाल मिश्रा की अदालत में गुरुवार को दस्तक  
 ब्रह्म को लेकर स्पेन की सुजाना बोविचा की  
 बचाली हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा ने  
 बचाली की प्रक्रिया पूरी करवाई।

45 वर्षीय सुजाना कुंभारी हैं। वे स्पेन की  
 सफारी इंजिस्टर हैं। वे अपने दोस्त आना के  
 साथ यहां आई हैं। उन्होंने बताया कि कभी सादी  
 कान्हे का खयाल उनके मन में नहीं आया, पर  
 अनाथ होने के जाने की दुष्खबर है कि कोई उन्हे

भी मां कहे। इसलिए उन्होंने किसी बच्चे को  
 गोद लेने का फैसला किया। इसके लिए तीन  
 वर्ष पहले उन्होंने स्पेन में गोद दिलाने वाली  
 एजेंसी के पास आवेदन दिया था। भारत में  
 गोद लेने की प्रक्रिया जटिल नहीं है। सरकारी  
 प्रक्रिया के तहत वे यहां की एजेंसी के संपर्क में  
 आईं। चार माह पूर्व वे यहां आई थीं और मासूम  
 प्रीति को अपनी बेटी बनाने का फैसला किया  
 था। सुजाना कहती हैं कि बेटे की जगह बेटियां  
 अच्छी होती हैं और मां-पिता के हर सुख-दुख  
 में काम आती हैं, इसलिए उन्होंने बेटे को गोद  
 लेने की प्राथमिकता दी। स्पेन में प्रीति के लिए वे  
 सिटी लिफ्ट भी रखेंगी।

# स्पेन का सुसाना गोमेज ब्रोबेडा बनी प्रीति की मां



स्पेन की महिला बच्ची को गोद लेने के परिवार न्यायालय पहुंची। • हिन्दुस्तान

भागलपुर | वरीय संवाददाता

नाथनगर अनाथालय में पल रही प्रीति भारती को भी मां मिल गयी। स्पेन की सुसाना गोमेज ब्रोबेडा ने उसे गोद लिया। गुरुवार को परिवार न्यायालय में गोद लेने के लिए महिला का जज शिव गोपाल मिश्रा ने बयान दर्ज किया और शुक्रवार को गोद लेने की प्रक्रिया पर कोर्ट की मुहर लग सकती है। मां की हैसियत से स्पेन की महिला ने नगर निगम में प्रीति के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी दे दिया है।

गुरुवार को स्पेन में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत सुसाना गोमेज ब्रोबेडा अपने साथ स्वदेशी महिला अधिवक्ता ऐना के साथ परिवार न्यायालय पहुंची। अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा के साथ वह जज के चेंबर में गईं और वहां पर गोद लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत बयान दर्ज कराया। जज ने करीब आधे घंटे तक महिला से बातचीत कर प्रीति के गोद लेने और उसके देखभाल के तरीके के बारे में

## प्रीति सीख रही स्पेनी भाषा

गोद लेने के लिए अनाथालय पहुंची स्पेन की महिला सुसाना गोमेज ब्रोबेडा प्रीति को स्पेनी भाषा सिखा रही है। दो दिनों में शरीर के दस अंगों के स्पेनी भाषा सिख गईं। कोर्ट में महिला ने प्रीति से स्पेन भाषा में नाक, आंख, होठ व हाथ आदि के बारे में पूछा तो वह बता दी। अधिवक्ता ने कहा कि प्रीति का जन्म 15 जून, 2013 को हुआ था और वह स्पेनी भाषा सीख रही है।

जानकारी ली। अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा ने बताया कि तीन साल पहले स्पेन की महिला गोद लेने के लिए अनाथालय के वेबसाइट पर अर्जी दी थी और तीन माह पहले प्रीति भारती का चयन किया गया था। स्पेन की 48 वर्षीय महिला ने कहा कि वह अविवाहित है और बच्ची गोद लेना चाहती है। अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा ने कहा कि छह माह के दौरान अनाथालय के दस बच्चों को परिवार मिला।

## मरम्मत के ह पानी आपूर्ति

बनारसपुर। पैन इंडिया को ल  
पानी आपूर्ति के लिए  
मिल रहा है। के.एम.के.के.  
एक दर्जन मोटरकारों में पानी का  
या। गुरुवार को मरम्मत होने  
लोमेंटों की परेशानी खत्म नहीं  
बनारसी खाटर चकरी के के  
में पार में तीन और टुकड़े टुकड़ों  
में से दो मोटर चल रहा था।  
ने बताया कि पानी की कमी के  
मोटर चल रहा है। मंगल के पार  
बनाकर इंटरकनेक्ट तक लाया  
पैन इंडिया के परियोजना प्र  
मोहन सिंह ने बताया कि खाटर  
खराबी को ठीक कर लिया ग

## सदानंद

भागलपुर/कहलगांव | हि

जिला प्रशासन की ओर से  
मनाए जा रहे विक्रमशिला  
प्रति सरकार की उपेक्षा  
विधायक दल के नेता और व  
विधायक सदानंद सिंह बेह  
प्रशासन की ओर से छपवाए  
उन्हें उद्घाटनकर्ता बनाया ग  
उन्होंने उद्घाटन करने से भी  
दिया है। उन्होंने डीएम को  
अपनी नाराजगी जतायी।

सदानंद ने लिखा है कि  
महोत्सव की सालों से उपेक्ष  
पिछले तीन साल से यह म  
मनाया गया जबकि राज्य के  
पर्यटन स्थलों पर तामझाम  
किया जाता है जिसमें मुर



बम की जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि उसको क्षमता अंकी जा सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि कमरे में और बम थे, जिसे हमारे पहुंचने से पहले ही हटा दिया गया था। मेकअप किट, कुछ किताबें, मूल प्रमाण-पत्र और शराब की खाली बोतल कमरे में जप्त किया गया।

पुलिस के मुताबिक, कमरा लेने के लिए दोनों ने अपना नाम बदला था। राहुल ने खुद को विराज तो छोटेआ ने शिवरांकर बताकर कमरा लिया था। दोनों ने खुद को पुरानी के आलमनगर का निवासी बताया। लॉज मालिक

लॉज के छात्रों ने बताया कि विराज और शिवरांकर (अपराधी छोटेआ और राहुल) तेज नर-नर कपड़े पहनना था। पूछने पर दोनों खुद को पैराल डिजाइनर बताते थे। देर रात तक दोनों जगते और खुद कमरे में खाना बनाते थे।

दिनेश सिंह की पत्नी ने बताया कि एक माह पहले ही दोनों ने 1500 रुपए प्रति माह में कमरा किराये पर लिया था। कमरा लेने के लिए अंकित कुमार नामक एक छात्र ने दोनों बदमाशों का परिचय लॉज मालिक से करवाया था। पढ़ाई करने की बात कही थी। अब पुलिस अंकित की तलाश कर रही है। बदमाशों से उसके संबंध की गुप्त भी सुलझाने में जुटी है। उसने खुद को छात्र बताने के लिए कमरे में कई किताबें रखी थी। साथ ही मूल प्रमाण-पत्र भी रखे थे।

लॉज के छात्रों ने बताया कि विराज और शिवरांकर (अपराधी छोटेआ और राहुल) तेज नर-नर कपड़े पहनना था। पूछने पर दोनों खुद को पैराल डिजाइनर बताते थे। देर रात तक दोनों जगते और खुद कमरे में खाना बनाते थे।

**किसने बदला पुलिस का ताला?**

पुलिस दलों के मुताबिक छोटेआ और राहुल की गिरफ्तारी सुबह करके के बाद दोनों को लेकर रात भर छापेसारी करती रही। इत दौरत पुलिस ने कमरे में खाना लगाकर छाबी अंगने पस्त रखा थी। जब सुबह करके को पुलिस उठे लेकर लॉज पहुंची तो कमरे में दूधता ताला लगा था। पुलिस ने ताला तोड़कर तो प्रवेश कर लिया, लेकिन यह चुपची नहीं सुनना सकी कि अखिर ताला किसने बदला? पूछताछ के बाद पता चला, सुबह के करीब एक लड़का कमरे पर आया और उसने छाबी खोले की बात कहकर पुलिस का ताला तोड़ दिया। पुलिस अब उस लड़के को ढूँढ रही है।

पुलिस दलों ने दोनों के बाद अर्द्धी देने की बात कही थी। दोनों को खजरा देने से पहले नरवान मॉरिथ ने भी मरदानगी करती। उन्होंने किरायेदार की खानकरी पुलिस को नहीं दी। यदि उन्होंने पहले ही खानकरी दी होती तो छोटेआ और उसका साथी दोनों पुलिस की गिरफ्तार में होते।

**प्रमुख हक्यू यादव की हत्या के बाद छोटेआ बम गया अपराधी**

शर्मा ने जब उसे हॉस्पिटल के साथ पकड़ा, तब उसने पुलिस को खुलाकर चुनौती दी और अपने मंरा साफ कर दी थी। उसने कहा था कि छूटने ही प्रबंध मुख्यालय में घुसकर हक्यू यादव को मारेंगा। जेल से छूटने ही उसने दिनकडे प्रबंध मुख्यालय में हक्यू यादव की हत्या की और अपराध की दुनिया में उतर गया।

**कार्यवाही**

नाथनगर अनायालय की प्रीति को गोद लेने वाली स्पेन की अधिकारी सुशाना का कोर्ट में दर्ज हुआ बयान

**भारत की संस्कृति पसंद इसलिए बच्ची को लिया गोद**

किटी रिपोर्टर | भागलपुर

नाथनगर अनायालय की प्रीति भारती की परिवार अब स्पेन में होगी। येन सरकार में रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रही सुशाना गोमेज बोवेडा व प्रीति की मां होगी। गुरुवार को प्रली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश गोपाल मिश्रा ने गोद लेने की या से संबंधित सभी कागजातों खनने के बाद सुशाना व बच्ची को भी पूछताछ की। शुक्रवार को

जजमेंट सुनाने के बाद प्रीति कानूनी तौर पर सुशाना की बेटी हो जाएगी। सुशाना कहती है कि भारत की संस्कृति उसे ज्यादा पसंद है इसलिए यहां की बच्ची को गोद लिया है।

**स्पेन में भी प्रीति ही नाम**

जज ने सुशाना से पूछा अगर बच्चा आपके गोद में न दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगी? इसे सुनते ही सुशाना पहले विचलित हुई। फिर वह स्पेनिश में बोली-यानी बच्ची को

लेकर भाग जाऊंगी। गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने वाले अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा ने बताया कि सुशाना हर महीने पांच सौ यूरो बच्ची के लिए अलग से जमा कर रही है। उसकी पढ़ाई के लिए स्कूल भी घर से वार्किंग डिस्टेंस पर तय किया गया है। खास बात यह है कि नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो आवेदन दिया गया है, उसमें प्रीति का नाम चेंज नहीं किया गया है। वहां भी प्रीति भारती ही रखा गया है।

**अब तक छह बच्चों को लिया गया गोद**



स्पेन की सुशाना गोमेज बोवेडा के साथ प्रीति।

अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा ने बताया कि हाल के दिनों में यह छठा केस है जो यहां से बच्चे को विदेश ले जाने के लिए लोग आ चुके हैं। 22 मार्च को एक और व्यक्ति इटली से बच्चे को गोद लेने के लिए आने वाले हैं। वकील ने बताया कि जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, वे बेटे की जगह बेटियों को गोद अधिक लेना चाहती हैं। सुशाना ने बताया कि पसंद का लड़का नहीं मिलने के कारण उसने शादी नहीं की है। स्पेन से सुशाना की सपोर्ट में आये अधिवक्ता ऐन, भारतीय अधिवक्ता मोती झा, अनायालय के को-ऑर्डिनेटर अनु श्री व अरुण सिन्हा मौजूद थे।



# स्पेन की हो जाएगी हमारी बेटी प्रीति

भागलपुर | तृतीय संवाददाता

अनाथालय में पल रही चार साल की प्रीति भारती अब स्पेनिश हो गयी। शुक्रवार को फैमिली कोर्ट ने स्पेन की महिला अधिकारी सुसाना गोमेज ब्रोबेडा द्वारा प्रीति को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पर मुहर लगा दिया। दस दिन में उसका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा बनने की उम्मीद है। इसके बाद प्रीति स्पेन चली जाएगी। जबतक ये कागजात नहीं बनते हैं प्रीति अनाथालय में ही रहेगी।

अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रीति भारती को गोद लेने के लिए तीन बहनों से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी।



सुसाना गोमेज ब्रोबेडा की गोद में प्रीति।

स्पेन की महिला अधिकारी ने बच्ची गोद लेने के लिए अर्जी डाली थी। गुरुवार को गोद लेने की प्रक्रिया पर फैमिली कोर्ट के जज शिव गोपाल मिश्रा के समक्ष बहस हुई थी। आदेश सुरक्षित रखा गया था। उन्होंने कहा कि स्पेन की महिला प्रतिदिन

बच्ची से मिल सकती है। अनाथालय से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता कोलकाता से वीजा और पटना में पासपोर्ट बनाने के लिए कागजी प्रक्रिया कर रहे हैं।

**भारत की बेटियों में होता है संस्कार:**  
अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा ने कहा कि स्पेन की महिला सुसाना गोमेज ब्रोबेडा से जब यह पूछा गया कि भारत में ही गोद लेने के लिए क्यों आवेदन दिया तो इस पर वह भावुक होते हुए बोली, भारत की बेटियों में संस्कार होता है। माता-पिता का वह विशेष ख्याल रखती है। दूसरे देशों में यह संस्कार नहीं दिखता है। इसलिए भारत की बेटी को गोद लेने के लिए तीन साल से प्रयास कर रही थी। गया था।



# इसे जरूर पढ़ना

## एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द

एक समय था जब मैं व्यापार जगत की ऊंचाइयों को छू चुका था. लोगों की नजर में मेरी जिंदगी सफलता का एक बड़ा नमूना बन चुकी थी. लेकिन आज खुद को बेहद बीमार और इस बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ.

पूरी जिंदगी मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन खुद को खुश करने के लिए या खुद के लिए समय निकालना जरूरी नहीं समझा.

जब मुझे कामवाबी मिली तो मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ, लेकिन आज मौत के इतने करीब पहुंचकर वह सारी उपलब्धियां फीकी लग रही हैं.

आज इस अंधरे में, इन मशीनों से घिरा हुआ हूँ.

मैं मृत्यु के देवता को अपने बेहद करीब महसूस कर सकता हूँ. आज मन में एक ही बात आ रही



है कि इंसान को जब यह लगने लगे कि उसने अपने भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, तो उसे अपने खुद के लिए समय निकाल लेना चाहिए. और पैसा कमाने की चाहत ना रखते हुए, खुद की खुशी के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए. अपनी कोई पुरानी चाहत पूरी करनी चाहिए.

बचपन का कोई अधूरा शौक, जवानी की कोई ख्वाहिश या फिर कुछ भी ऐसा जो दिल को तसल्ली दे सके,

किसी ऐसे के साथ वक्त बिताना चाहिए जिसे आप खुशी दे सकें और बदले में उससे भी वही हासिल कर सकें. क्योंकि जो पैसा सारी जिंदगी मैंने कमाया उसे मैं साथ लेकर नहीं जा सकता.

अगर मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ तो वे हैं यादें. ये यादें ही तो हमारी 'अमीरी' होती हैं, जिसके सहारे हम सुकून की मौत पा सकते हैं. क्योंकि ये यादें और उनसे जुड़ा प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मीलों का सफर तय करके आपके साथ जा सकती हैं.

आप जहां चाहे इसे लेकर जा सकते हैं. जितनी ऊंचाई पर चाहें ये आपका साथ दे सकती हैं. क्योंकि इन पर केवल आपका हक है.

जीवन के इस मोड़ पर आकर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ. जीवन में अगर कोई सबसे

महंगी वस्तु है, तो वह शायद 'डेथ वेड' ही है. क्योंकि आप पैसा फेंककर किसी को अपनी गाड़ी का ड्राइवर बना सकते हैं. जितने मर्जी नौकर-चाकर अपनी सेवा के लिए लगा सकते हैं.

लेकिन इस डेथ वेड पर आने के बाद कोई दिल से आपको प्यार करे, आपकी सेवा करे, यह चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते.

आज मैं यह कह सकता हूँ कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हों, उसे अंत तक खूबसूरत बनाने के लिए हमें लोगों का सहारा चाहिए. पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता.

मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अपने परिवार से प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताएं, इस वेशक्रीमती खजाने को बर्बाद ना होने दें. खुद से भी प्यार करें.

-आपका स्टीव जॉब्स.





# एक पखवाड़े के बाद अपने सात बच्चे हो जाएंगे विदेशी, चल रही प्रक्रिया बच्चे को गोद लेने पहुंचा इटली का परिवार

के अध्यक्ष  
के रूप में  
हो चुके हैं।  
प्रकाश के  
रूप में  
किसान  
हो चुके हैं।

मार्ग  
एक  
इस  
रूप में  
हो चुके हैं।

का  
दर

संकर दयाल मिश्रा • भागलपुर

भागलपुर अनाथालय में पल-बढ़ रहे सात बच्चे, बच्चियों अगले माह से विदेशी हो जाएंगे। इनमें से छह बच्चों को विदेशी परिवार ने कानूनी तौर पर गोद ले लिया है। उनमें अपने देश ले जाने की योग्य कागजी प्रक्रिया अनाथालय के लोग पूरी कर चुके हैं। इटली के एक अन्य परिवार की दत्तक ग्रहण की गवाही एक दिन बाद होनी है। अगले माह अनाथालय परिवार धूमधाम से इन बच्चों को सामूहिक विदाई देगा। भागलपुर कुटुंब न्यायालय में अभी गोद ग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा के अनुसार यहाँ आम मान्यता है कि विदेशों में उन्हें काफी मजबूत परिवार मिलेगा।

पिछले दिनों इसे पुष्ट किया था न्यूजीलैंड की कुन्वेल सिमंस ने। वह वहाँ दूसरे बच्चों को गोद लेने आई थीं। पहली बच्चों को उन्होंने तीन वर्ष पहले दिल्ली से गोद लिया था। वह बच्चों भी उनके साथ आई थीं। उसका जीवन स्तर बदला हुआ दिखा। तीन माह पहले सोनम भारती हांगकांग भेजी गई है। वह भी वहाँ काफी खुश है। अफ्र अनाथालय के अधिकारियों के अनुसार अब तक गोद दिए गए बच्चों

## नागरिकता

- बड़े सामूहिक आवेदन के साथ कानूनी परेन्ट्स को सौंपे जाएंगे बच्चे
- अब तक गोद दिए गए बच्चों के पासपोर्ट वीजा आदि चल रही प्रक्रिया
- पहले गोद दिए गए बच्चे की परवरिश से संतुष्ट है एजेंसी

## खुशी भी व कुछ सवाल भी

एक महीने में आधे दर्जन बच्चे के गोद ग्रहण को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा और सवाल भी हैं। (मसलन, इन बच्चों को विदेशों में कैसे रखा जाएगा, क्या भविष्य होगा, क्या इनकी निगरानी यहाँ से भी की जा सकेगी... आदि।) बुकिंग अनाथ बच्चों को वास्तव में यहाँ कितनी अच्छी परवरिश मिलती है यह छुपी नहीं है।

के पासपोर्ट-वीजा आदि बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक दिन बाद इटली वाले दंपती की गवाही और उसपर कोर्ट का निर्णय आने के आगे की कार्रवाई होगी। सभी मान रहे हैं कि इन अनाथ बच्चों के गोद देने के साथ सुखमय भविष्य की राह

## कब व किस बच्चे के लिए हुई गवाही

- 27** फरवरी, निकिता भारती के लिए फ्रांसीसी दंपती मारिया इशाबेल और फेबिन मुसेर की
- 28** फरवरी, विकास भारती के लिए इटालियन दंपती मार्टिन एवं जॉर्जिया लेले की
- 01** मार्च, काजल भारती के लिए बेल्जियम दंपती मिशेल डल्ला लिवेरा एवं लिया बोम्बार्डरी की
- 07** मार्च, गुड़िया भारती के लिए इटालियन दंपती केसजू एवं जियानी की
- 08** मार्च, मीनू भारती के लिए न्यूजीलैंड के सिमंस की। सिमंस कुंवारी हैं।
- 16** मार्च, प्रीति भारती के लिए स्पेन की सुजाना की। सुजाना भी कुंवारी हैं

## दो वर्ष तक अभिभावकों को देनी होती है रिपोर्ट

बच्चों के परवरिश की रिपोर्ट गोद लेने वाले अभिभावकों को बच्चे के मूल देश के एजेंसी को पहले वर्ष प्रत्येक तीन महीने पर एवं दूसरे वर्ष छह महीने पर भेजनी होती है। वैसे बच्चों के मूल देश की एजेंसी की जब इच्छा होगी तब वह रिपोर्ट मांग सकती है। इसके लिए तब फार्मेट है। यह प्रक्रिया भी ऑन लाइन है। अगर एजेंसी को लगना कि परवरिश में कमी है तो उस देश की एजेंसी को खबर करेगी और वहाँ की एजेंसी बच्चे को अपने पास वापस ले लेगी।

खुल चुकी है। वह एक बच्चे के समान है। ऐसे में एक बड़ा सामूहिक आवेदन के साथ अंतिम रूप से उनके कानूनी मां-पिता को सौंप देगे। दत्तक ग्रहण कानून पर काम करने वाले अधिवक्ता गीतांजु सुरेश कहते हैं कि विदेशी परिवारों के लिए दत्तक ग्रहण की

प्रक्रिया आसान नहीं है। हेग कॉन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रें एंड को-ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडोप्शन 1993 के तहत अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाती है। हेग कॉन्वेंशन में शामिल देशों से जुड़ी एजेंसियां एक-दूसरे के

संपर्क में रहती हैं। मसलन भारत में सेंट्रल एडोप्शन सिस्टम अधीन (कारा) दत्तक ग्रहण करती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑन लाइन है। गोद दिए जाने योग्य बच्चों का डिटेल्ड कारा के वेबसाइट पर रहता है। गोद लेने को इच्छुक विदेशी अपने देश के

जागरण संवाददाता, भागलपुर : नाथनगर रमानंदी हिल्ड अनाथालय से एक और बच्चे को गोद लेने इटली की दंपती भागलपुर आ गई है। पति नूरी और पत्नी डल्ला की यह जोड़ी बेटा गोद ले रही है। दोनों कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिलाने गुरुवार को कोर्ट परिसर पहुंचे, पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी।



बच्चे का दत्तक दिलाने वाली सरकारी एजेंसी कारा से जुड़े वरिय अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा ने बताया कि एक-दो दिनों में दंपती की गवाही कराए जाने की संभावना है। इटली की इस दंपती में खास यह कि पत्नी डल्ला भारतीय मूल की है। वे इटली में ही सरकारी सेवा

में हैं। कोर्ट परिसर में आने के बाद वे अधिवक्ता के घर गए और गोद ग्रहण की औपचारिकताओं को पुरा किया है। श्री मिश्रा ने बताया कि सारी कागजी कार्रवाई हो गई है। अब सिर्फ दंपती की गवाही होनी है। इस दंपती का वीजा खत्म हो

जा रहा है सो इन्हें रविवार से पहले इटली लौटना है। कोर्ट के आदेश के बाद यह परिवार फिर बच्चा लेने वापस आएगा। फिलहाल यह दंपती फिलहाल गोद लिए जा रहे बच्चे के साथ अपना दिन व्यतीत कर उससे जुड़ाव भी बढ़ा रहा है।

उसकी मैचिंग कराई जाती है। फिर जिसे वह पसंद करता है उस बच्चे-बच्चों को गोद दिलाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। कॉन्वेंशन में बनी सहमति के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रक्रिया पूरी की जाती है।

# दीन दयाल उपाध्याय चैप्टर की होगी स्थापना : कुलपति

डॉ. नलिनी कांत झा ने कुलपति का पदभार ग्रहण किया, प्राथमिकता बताई

जागरण संवाददाता, भागलपुर : तिलकामाई भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉ. नलिनी कांत झा ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। कुलाधिपति द्वारा डॉ. झा के कुलपति के रूप घोषणा के बाद वे बुधवार को शाम सात बजे प्रवेश में योगदान देने के बाद देर



अटक सकता है शिक्षकों का नियमितीकरण

जागरण संवाददाता, भागलपुर

# जानकारी जुटा लौटी दिल्ली पुलिस


जागरण संवाददाता, भागलपुर : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लॉ की फर्जी डिग्री मामले में पुलिस गुरुवार को एक पूर्व परीक्षा नियंत्रक की कुंडली लेकर वापस दिल्ली लौट गई। दिल्ली के हाजिखाना बाने के एसएचओ सचेंद्र सांगवान के साथ आए दो और सहयोगी पूर्व परीक्षा नियंत्रक के बारे में जानकारी इकट्ठा की।




वर्तमान समय में अध्ययन-अध्यापन के कार्य में लगे पूर्व परीक्षा नियंत्रक पर आरोप है कि उन्होंने जिस टेबुलेशन रजिस्टर में तोमर के परीक्षा के अंक थे उसे मंगाया था। जबकि उनके बाद के परीक्षा नियंत्रक ने तोमर को डिग्री देने का कार्य किया था। दिल्ली पुलिस को पूर्व में मान्यता

विश्वविद्यालय पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम • जागरण

parent in this case / petition for adoption before














APRIL 1980 UNIVERSITY OF CALIFORNIA








ADDITIONAL UNIVERSITY OF CALIFORNIA







# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

**WITH DUE REGARD I SUBMIT-PLEASE KEEP IN MIND**  
**That ADOPTION PROCESS in the court is NOT A**  
**GENERAL COURT PROCEEDING**  
**In this the parties are not LITIGANT or litigating**  
**It is NOT A SUIT but an application (Misc. Adoption**  
**Application)**  
**STRICT RULE of C.P.C and EVIDENCE ACT is not**  
**applicable.**  
**ADJOURNMENTS must be EXPLAINED as you have to**  
**DISPOSE OF the matter within TWO MONTHS.**  
**RECORD of the case should be kept in SAFE CUSTODY**



# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

**Very simple processes**

**Case filed-numbered-checked and reported**

**/**

**Admission**

**/**

**Statement of the secretary SAA/PAPs**

**/**

**Judgment**

**(may be provided free of cost instantly)**

# **ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015**

## **Scrutinization by court**

**Petition must be filed as per CARA guidelines along with the affidavit of secretary SAA and the PAPs.**

**Annexure should be as per CARA guidelines nothing less nothing more.**

**Case is filed within ten days of the NOC or Pre adoption Foster care. Delay may be condoned.**

**If every thin is in order admit the case and record the statement of the secretary SAA and PAPs.**

**If adjournment is given it must be explained.**

**No need to hear argument- proceed for judgment.**

**If the petition is defective ask the secretary to remove the defect-short adjournment be given-despite the defect is not removed –dismiss- entertain another application-donot**

**keep pending**

# **ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015**

**KEEP SPECIAL ATTENTION ON**  
**FORMAT OF PETITION-SCH-XXVIII-P-182**  
**AFFIDAVIT-SCH-XXIV-P-171**  
**ANNEXURE-SCH-9-P-150**  
**CSR-SCH-II-P-129**  
**MER-SCH-III-P-131**  
**HSR-SCH-VII-P-144**  
**BEHAVIOR OF PAPS-ATTACHMENT TO CHILD**  
**TALK WITH THE CHILD**  
**GIVE CONGENIAL ATMOSPHERE**  
**LET THEM FEEL AT HOME**  
**TAKE YOUR WON TIME TO SATISFY YOURSELF PERTAINING TO**  
**THE BEST INTEREST OF THE CHILD.**

**ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE  
AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015**

**YOUR SATISFACTION**

***PETITION AND DOCUMENTS ARE IN ORDER***

***PAPS REPLYING TO YOUR QUESTIONS AS PER  
THE HSR***

***DOCUMENTS ARE ORIGINAL/GENUINE/AND AS  
PER HSR***

***BEST CARE OF THE CHILD IS ADHERED***

***CHILD IS WISHING TO GO WITH PAPS***

***MONEY TRANSACTION HAS NOT BEEN  
INVOLVED***



# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

**YOUR ORDER-DEAL THEREIN**

***APPLICATION***

***CSR/MER/CWC/CNCP/ABOUT THE PROPERTY OF THE CHILD IF ANY***

***HSR/HEALTH/ SUITABILITY/INCOME/WILLINGNESS OF THE PAPS/REFERENCE/CONFIRMATION OF ADDRESS ABOUT THE AGENCY***

***JURISDICTION***

***RELIEF SOUGHT***

***EXAMINATION OF SECY-SAA/PAPS-MARKING EXHIBIT***

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

## **YOUR ORDER-DEAL THEREIN-BEFORE CONCLUSION**

- MINUTE OBSERVATION OF THE LOVE AND AFFECTION OF THE PAPS WITH THE CHILD.
- FEELING THE CHILD COMFORTABLE WITH PAPS.
- PAPS ARE ALSO KEEN TO ADOPT.
- DOCUMENTS ARE IN ORDER.
- EVIDENCE SUFFICES.
- NO LEGAL IMPEDIMENT.
- COMBINED AGE IS PERMISSIBLE.
- FOR BETTER WELFARE AND UPBRINGING OF THE CHILD.

# ADOPTION UNDER JUVENILE JUSTICE(CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT 2015

## ORDER

- Proposed adopters are allowed to take and the applicant is allowed to give the above mentioned child in adoption.
- Proposed adopters are declared as the adoptive parents of the said minor having all parent's rights, privilege and responsibilities over the said minor child.
- Adoptive parents are allowed to remove the said child out of jurisdiction of this Court and to take the said minor to ..... or where ever the adoptive parents may reside in future.
- Municipal Corporation is directed to issue birth certificate in favour of the said minor mentioning the proposed adopters as parents.